"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181 ] रायपुर, शुक्रवार दिनांक 13 मई 2011—वैशाख 23, शक 1933

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 12 मई 2011

क्रमांक एफ-42/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/646.—दिनांक 09 मई, 2011 को नगर पंचायत कुसमी, जिला सरगुजा (अंबिकापुर) छ.ग. के 02 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव.

**प्रकरण क्रमांक एफ-42/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010**

1. कमला, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत कुसमी, जिला-सरगुजा (अंबिकापुर) छ. ग.

2. कान्ता, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत कुसमी, जिला-सरगुजा (अंबिकापुर) छ. ग.

## आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 09 मई, 2011

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) सरगुजा (अंबिकापुर) के प्रतिवेदन दिनांक 4 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत, कुसमी के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 5 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसम्बर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) सरगुजा (अंबिकापुर) ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 4 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत कुसमी के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों कमला एवं कान्ता द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) सरगुजा (अंबिकापुर) के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाली उपरोक्त अभ्यर्थियों कमला एवं कान्ता को दिनांक 25 फरवरी 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में चाहा गया. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों कमला एवं कान्ता को 30 अप्रैल 2010 को सम्यक् रूप से तामील किया गया है. कारण बताओ सूचना के संदर्भ में अभ्यर्थी कान्ता ने लिखित जवाब दिनांक 15 जून 2010 आयोग में प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया है कि कम शिक्षित महिला होने के कारण जानकारी के अभाव में निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में दाखिल नहीं कर पाई थी. कारण बताओ सूचना मिलने पर जमा किया जा रहा है. परिस्थिति जन्य कारणों से निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने में विलंब हुआ है. अतएव सद्भावनापूर्वक उनका प्रकरण समाप्त किया जावे. अभ्यर्थी कान्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) सरगुजा (अंबिकापुर) ने अपने ज्ञापन क्रमांक 77/स्था.निर्वा./2011, दिनांक 17 मार्च 2011 में यह किया है कि अभ्यर्थी कान्ता द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत न किया जा कर सीधे दिनांक 15 जून 2010 को राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है. अन्य अभ्यर्थी कमला को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् भी उसके द्वारा अपना जवाब न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त प्रस्तुत किया गया है. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि उपरोक्त अभ्यर्थी कमला को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) सरगुजा (अंबिकापुर) ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों कमला एवं कान्ता ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा**—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने

या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अतः उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) सरगुजा (अंबिकापुर) के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि नगर पंचायत कुसमी के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी कान्ता द्वारा दिनांक 15 जून 2010 को विलंब से निर्वाचन व्यय लेखा राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है. तथापि उक्त निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति से अधिसूचित अधिकारी अर्थात् जिला निर्वाचन अधिकारी को विधि की अपेक्षानुसार निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है. इससे अधिनियम की धारा 32 की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है. अतः उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित दलील मान्य योग्य नहीं है. अभ्यर्थी कमला ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब दिया. इस असफलता के लिए उसने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थीगण कमला एवं कान्ता प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों कमला एवं कान्ता को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से चार वर्ष पांच माह की कालावधि के लिय नगर पंचायत का अध्यक्ष होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 09 मई 2011 को जारी किया गया.

हस्ता./-

**(पी. सी. दलेई)**
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.